न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 16/557

हाफीज मजीदुल्ला खॉ आत्मज सादुल्ला खॉ जाति मुसलमान निवसी बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 02.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बारोबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 1.00 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि पर वादी का गत 40–50 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पुराना कब्जा होने के कारण वादी को उक्त आराजी आवंटन द्वारा दिनांक 28.04.88 को दखलनामा दिया गया । वादी का आवंटन कमांक 64 दिनांक 16.11.88 को आवंटन समिति कोटा के रजिस्टर में दर्ज है । वादी का आवंटन आज तक बहाल है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त आवंटित आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 1.00 हैक्टर वाके ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को आवंटित आराजी पर से बेदखल नहीं करे, काश्त करने से नहीं रोके उक्त कृत्य न तो स्वयं रेस्पोडेन्ट करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को लोक अदालत की पेशी का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट दिनांक 16.06.2016 को कैम्प में उपस्थित हुआ जहॉ पर प्रार्थी से हस्ताक्षर करवाए । प्रार्थी जब अपने वकील साहब से पास जानकारी लेने गया तब मालूम हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक निर्णय नहीं सुनाया गया है । अपीलान्ट द्वारा काफी तलाश करने पर जानकारी प्राप्त हुई है उक्त निर्णय दिनांक 16.06.2016 को ही पारित कर दिया गया जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अपने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें 80 सीपीसी का नोटिस जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 एवं दखलनामा दिनांक 30.09.1988, खसरा गिरदावरी संवत् 2043–46 प्रोसिडिंग रजिस्टर की नकल दिनांक 16.11.1988, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2070 एवं धारा 91 की अनेक रसीदें प्रस्तुत की गई तथा संवत् 2068 की खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजों में वादी अपीलान्ट का कब्जा काश्त दर्ज होने के कारण अपीलान्ट ऑपरेशन बाय लॉ स्वतः ही खातेदार कृषक घोषित हो चुका है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान दिये गये हैं कि आवंटी या गैर खातेदार को किसी भी प्रकार से कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते तो उसके लिये मात्र एक उपचार है कि वह सक्षम न्ययालय में दावा प्रस्तुत कर नियमानुसार खातेदारी अधिकार अर्जित कर सकता है । उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिकारी की धारा 209 में यह भी प्रावधान है कि विचारण न्यायालय या अपीलीय कोर्ट अपीलान्ट को ना चाहा गया अनुतोष भी प्रदान कर सकता है तथा अनेक न्यायिक दृष्टांतों में भी यही लिखा है कि यदि आवंटी की बदस्तूर कब्जा काश्त हो तो उसे एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जा सकते हैं जैसा कि आर.आर.टी 2011 वोल्यूम–2 पेज 773 में प्रतिपादित किया है एसी प्रकार आर.आर.टी. 2012 वोल्य0 02 पेज 1392 में प्रतिपादित किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट जिस भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहता है वह भूमि वन विभाग की भूमि पर जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 28.04.1988 को अपीलान्ट के पक्ष में किया गया था तत्पश्चात् दिनांक 30.09.1988 को उक्त भूमि पर दखल भी दिया गया था उक्त भूमि के आवंटन के संदर्भ में प्रोसेडिंग रजिस्टर में दिनांक 16.11.1988 को दर्ज रजिस्टर हुआ । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.09.2015 को जिला कलक्टर को 80 सीसी का नोटिस भी दिया गया उसके पश्चात् भी अपीलान्ट वादी को किसी भी प्रकार का गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने वादपत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें 80 सीपीसी का नोटिस जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 एवं दखलनामा दिनांक 30.09.1988, खसरा गिरदावरी संवत् 2043–46 प्रोसिडिंग रजिस्टर की नकल दिनांक 16.11.1988, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2070 एवं धारा 91 की अनेक रसीदें प्रस्तुत की गई तथा संवत् 2068 की खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजों में वादी अपीलान्ट का कब्जा काश्त दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान दिये गये हैं कि आवंटी या गैर खातेदार को किसी भी प्रकार से कोई खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते तो उसके लिये मात्र एक उपचार है कि वह सक्षम न्ययालय में दावा प्रस्तुत कर नियमानुसार खातेदारी अधिकार अर्जित कर सकता है । उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिकारी की धारा 209 में यह भी प्रावधान है कि विचारण न्यायालय या अपीलीय कोर्ट अपीलान्ट को ना चाहा गया अनुतोष भी प्रदान कर सकता है तथा अनेक न्यायिक दृष्टांतों में भी यही लिखा है कि यदि आवंटी की बदस्तूर कब्जा काश्त हो तो उसे एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जा सकते हैं जैसा कि आर.आर.टी 2011 वोल्यूम–2 पेज 773 में प्रतिपादित किया है एसी प्रकार आर.आर.टी. 2012 वोल्य0 02 पेज 1392 में प्रतिपादित किया गया है । वादी को भूमि आवंटन दिनांक 28.04.1988 को किया गया एवं दिनांक 30.09.88 को उसे दखलनामा भी प्रदान कर दिया गया था एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार प रवह उक्त भूमि पर कब्जा काश्त में हैं । अपीलान्ट/आवंटी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर 10 वर्ष तक काश्त कर गैर खातेदारी अधिकार राजस्व एजेन्सी को स्वयं ही प्रदत्त कर देना चाहिए था एवं राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन कर देना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादी अपीलान्ट का वाद गलत खारिज किया गया है एवं 10 सीपीसी के प्रावधान भी यहॉ लागू नहीं होते हैं एवं सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान अपीलान्ट /आवंटी का नाम रिकॉर्ड में उदर्ज करने की त्रुटि की है जिसकी क्षति अपीलान्ट को नहीं की जा सकती । साथ ही माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय अनेक उच्चतर न्यायालयों ने द्वारा यह निर्णय दिये हैं कि विधिक रूप से से आवंटी व्यक्ति का आवंटन निरस्त किए बिना भूमि को अन्य को आवंटन की किया जा सकता है एवं आवंटी व्यक्ति को स्वतः ही अधिकार प्रदान किये जाएगें । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट /आवंटी का कब्जा काश्त आराजी खसरा नम्बर 291 पर मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 1.00 हैक्टर पर है जो अधीनस्थ न्यायालय की

ली में उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी से पूर्णतया साबित है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में लान्ट/आवंटी का कब्जा आवंटित भूमि अर्थात् खसरा नम्बर 289 रकबा 1.00 हैक्टर पर ही ना साबित है । अपीलान्ट का आवंटन वर्तमान में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और न ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज है जिससे साबित हो कि अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया हो । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट/आवंटी अपने पक्ष को साबित करने में सफल हुए हैं ।

14. वादी अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनके अवलोकन से साबित है कि वादी अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 289 पर कब्जा प्रमाणित है । आवंटित भूमि भी आराजी खसरा नम्बर 289 है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना भी नहीं पाया जाता है । वर्तमान में भी आवंटी उक्त आवंटित आराजी पर काबिज है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है । इस सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015 (1) आरआरटी पेज 200, 2016 (1) आरआरटी पेज 82, 2008 (1) आरआरटी पेज 598 भी चस्पा होते हैं । उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार नियमानुसार आवंटन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि में आवंटी को 03 वर्ष बाद स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी की जो रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है उसमें आराजी खसरा नम्बर 291 पर अपीलान्ट का कब्जा बताया गया है । इसएिल आराजी खसरा नम्बर 289 जो अपीलान्ट को आवंटित हुई है पर अपीलान्ट का कब्जा है या नहीं इसकी तहसीलदार लाडपुरा स्वयं जॉच करे, एवं यदि उक्त आराजी खसरा नम्बर 289 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता है तो तहसीलदार नियमानुसार उक्त भूमि पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान करें ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी की जो रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है उसमें आराजी खसरा नम्बर 291 पर अपीलान्ट का कब्जा बताया गया है । इसलिए आराजी खसरा नम्बर 289 जो अपीलान्ट को आवंटित हुई है पर अपीलान्ट का कब्जा है या नहीं इसकी तहसीलदार लाडपुरा स्वयं जॉच करे एवं यदि उक्त आराजी खसरा नम्बर 289 पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता है तो तहसीलदार नियमानुसार उक्त भूमि पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान करें ।

16. निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा